न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ़ जयपुर
बइजलास श्री विश्वामित्र मीना R.A.S.
वाद पत्र सं0 137/2021

ओमप्रकाश पुत्र रेवडमल जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम ऑधी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

.......प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ जयपुर।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकः–
श्री महेश शर्मा नयावासः–वकील प्रार्थी

निर्णय
आवेदन बाबत नक्शा तरमीम दुरूस्तीकरण
अन्तर्गत धारा 131,132,136 एल0आर0एक्ट

दिनांक 7/4/2022

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकरण पेश किया जाकर कथन किया गया कि ग्राम ऑधी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 492 रकबा 0.41 हैक्टेयर साबिक खसरा नं0 398 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नं0 544 रकबा 0.37 हैक्टेयर साबिक खसरा नं0 461 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा अनुसार स्थित है, जिनके राजस्व नक्शे में हाल सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान प्रार्थी के पूर्व नक्शे व कब्जे काश्त व खातेदारी रकबा बरारी के विरूद्ध त्रूटिपूर्ण नवीन नक्शे तरमीम होने से आगे वादग्रस्त भूमि है। दौरानें सैटलमेंट कार्यवाही में सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमियों के कायम नवीन राजस्व नक्शे की त्रूटिपूर्ण तरमीम करते हुए, प्रार्थी की खातेदारी के पूर्व खसरा नं0 398, 461 के नक्शे के विपरित एवं रकबा बरारी से भिन्न त्रूटिपूर्ण तरमीम कर दिया गया, जो कि लिपिकीय त्रूटि का परिणाम है, जिससे खातेदार प्रार्थी के गत खसरा नं0 398 तथा खसरा नं0 461 के वर्तमान नवीन नक्शों को कम कर त्रूटिपूर्ण तरमीम कर दिया गया। जिससे प्रार्थी की खातेदारी भूमि के वर्तमान राजस्व नक्शे में त्रूटिपूर्ण तरमीम है। प्रार्थी का अपने खातेदारी के साबिक राजस्व नक्शों सहित रकबा बरारी अनुसार कब्जा चला आ रहा है। सैटलमेंट विभाग को त्रूटिपूर्ण तरमीम करने व प्रार्थी की भूमि को कम करने का अधिकार नहीं रहा है। अपने खातेदारी के साबिक राजस्व नक्शों अनुसार प्रार्थी वर्तमान नवीन राजस्व नक्शे को रकबा बरारी अनुसार तरमीम कराने का प्रार्थी अधिकारी है।

उक्त प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थी सं0 1 को नोटिस जारी किये जाने के बाद अप्रार्थी सं0 1 ने अपने अधीनस्थ पटवारी हल्का द्वारा प्रकरण में बिन्दूवार जवाब तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं वर्तमान व साबिक नम्बरों अनुसार राजस्व नक्शों की प्रति सहित अपना जवाब न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा प्रस्तुत जवाब प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार ने कथन किया कि वर्तमान नक्शा एवं हाल नक्शा व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। साथ ही मौका भी देखा गया। प्रार्थी गत नक्शे के अनुसार मौके पर काबिज है। वर्तमान नक्शे को गत नक्शे से अच्छादित करके देखा गया। सम्पूर्ण नक्शे की सीमाऐं विस्तापित है तथापि ख0नं0 492 व 544 की रकबा बरारी की गई तथ इसी प्रकार उनके गत ख0नं0 398 व 461 की भी गत एवं हाल नक्शे की रकबा बरारी की गई। हाल ख0नं0 492 का रिकार्डेड रकबा 0.41 हैक्टेयर है। परन्तु गत नक्शें में रकबा 0.34 है0 ही है। इसी कम में हाल ख0नं0 544 का गत नक्शें में रकबा 0.34

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ